बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना

(निबंधित कार्यालय : प्रथम तल, विद्युत् भवन, बेली रोड, पटना)
Website:-www.bsphcl.bih.nic.in
DEPARTMENT OF HR & ADMINISTRATION

संकल्प

संकल्प संख्या–H-V/Adop-DA–10005/2017 36 /पटना दिनांक 16-05- /2018

विषय :– **सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के कार्यालय आदेश संख्या–688 दिनांक–01.06.2017 के द्वारा औपबंधिक रूप से सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसके अनुषंगी कम्पनियों के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को संकल्प संख्या–51 दिनांक–07.11.2017 के द्वारा दिनांक 01.07.2017 के प्रभाव से 5 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड संकल्प संख्या–15 दिनांक–21.02.2018 के द्वारा अंतिम रूप से पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है जिसमें भी दिनांक–01.07.2017 से पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को 5 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति उल्लेखित है।

2. वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या/ज्ञापांक–3250/वि० दिनांक–04.05.2018 के द्वारा दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने एवं अनुषंगी कम्पनियों के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की स्वीकृति राज्य सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में विद्युत कम्पनी ने सम्यक् विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे विद्युत कम्पनी के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से 5 प्रतिशत के स्थान पर 7 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर दिया जायेगा।

(iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

6. दिनांक–01.01.2018 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय उपर्युक्त कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जाँच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

आदेशानुसार,

16/5/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 37 / पटना दिनांक 16-05-/2018

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/तकनीकी सचिव)/निदेशक (प्रशासन) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

16/5/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 37 / पटना दिनांक 16-05-/2018

प्रतिलिपिः–सभी निदेशक/सभी महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबन्धक–सह–मुख्य अभियंता/ सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबन्धक (राजस्व)/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी उप महाप्रबन्धक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)/उप महाप्रबन्धक (जनसम्पर्क)/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्रशा०)/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता (असैनिक)/विधि परामर्शी/सभी अवर सचिव/सभी वरीय प्रबंधक/सभी लेखा पदाधिकारी /कम्पनी सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

16/5/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 37 / पटना दिनांक 16-05-/2018

प्रतिलिपिः– आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला नई दिल्ली/ कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/5/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक 37 / पटना दिनांक 16-05-/2018

प्रतिलिपिः–उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डाटा बेस एडमिनिस्टेटर, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त संकल्प को बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के बेवसाइट पर अपलोड किया जाय।

16/5/18

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबन्धक (मा०सं०/प्रशा०)